रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230428
CG-DL-E-14102021-230428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 460] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

फा. सं. एनसीटीई–रेगु.10122/8/2020–यूएस(विनियमन)–एचक्यू.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप–धारा (1) तथा धारा (32) की उप–धारा (2) के खंड (च) और (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 को संशोधित करते हुए पुनः एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। अर्थात्:–

1. लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन :– (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि) संशोधन विनियम, 2021 कहलाएंगे।

   (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 में, परिशिष्ट–15 में, अनुच्छेद–1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

   "1. प्रस्तावना

   एकीकृत बी.एड.–एम.एड. कार्यक्रम शिक्षा में तीन वर्ष का पूर्णकालिक व्यावसायिक कार्यक्रम है, जिसमें तीन वर्षों के अध्ययन को पूरा करने से पहले बीच में छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। इसका उददेश्य शिक्षा में अध्यापक, अध्यापक–शिक्षकों और अन्य व्यावसायिकों को तैयार करना है, जिनमें पाठ्यचर्या, विकासकर्ता, शिक्षा नीति विश्लेषक, शैक्षिक आयोजक और प्रशासक, स्कूल प्रिंसिपल, पर्यवेक्षक और शिक्षा के क्षेत्र के अनुसंधानकर्त्ता भी शामिल हैं। कार्यक्रम के पूरा होने पर एकीकृत तीन वर्षीय बी.एड.–एम.एड की उपाधि प्राप्त होगी।"

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./331/2021-22]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड 4, दिनांक 1 दिसंबर, 2014 में अधिसूचना संख्या एफ.51–1/2014/एनसीटीई(एन और एस), दिनांक 28 नवंबर, 2014 को प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या एफ.एनसीटीई–रेगु.1011/80/2018–एमएस (विनियमन)–मुख्यालय, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NATIIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

F. No NCTE-Regl022/8/2020-US(Regulation)-HQ.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 32 and clause (f) and (h) of sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.—(1)These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedures) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, in the Appendix-15, for paragrapgh-1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"1. Preamble

The integrated B.Ed.-M.Ed. Programme is a three year full-time professional programme in education, without any option of intermediate exit before completing the three years of study. It aims at preparing teacher, teacher educators and other professionals in education, including curriculum developers, educational policy analysts, educational planners and administrators, school principals, supervisors and researchers in the field of Education. The completion of the programme shall lead to integrated three-year B.Ed.-M.Ed. degree."

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./331/2021-22]

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st December, 2014, vide notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 28th November, 2014 and were last amended vide notification number F.NCTE-Regl011/80/2018-MS (Regulation)-HQ, dated the 29th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.10.14 23:09:53 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230427
CG-DL-E-14102021-230427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943**
No. 459] **NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943**

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

फा. सं. एनसीटीई–रेगु.10122/8/2020–यूएस(विनियम)–मुख्या. (ई).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) के धारा 12क के साथ पठित धारा 32 के उप–धारा (2) के खंड (घघ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अपने विनियम 2014 (पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

1. लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन.– (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों मे शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) संशोधन विनियम 2021 कहलांएगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम 2014, में प्रथम अनुसूची, स्तर 4 और स्तर 5 के सामने, प्रविष्टि (ग) के बाद न्यूनतम अकादमिक और व्यावसायिक अर्हताएं शीर्षक के तहत, निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात:–

"अथवा

(घ) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम. एड."

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./330/2021-22]

नोट : मूल अधिसूचना दिनांक 16 दिसंबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 62–1/2012एनसीटीई (एन तथा एस), दिनांक 12 नवंबर 2014 के रूप में प्रकाशित हुई थी।

NATIIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

F. No. NCTE-Regl0122/8/2020-US(Regulation)-HQ. (E).—In exercise of the powers conferred under clause (dd) of sub-section (2) of section 32 read with section 12A of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments to amend the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruited as Education Teachers and Physical Education Teachers in Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Regulations, 2014, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruited as Education Teachers and Physical Education Teachers in Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruited as Education Teachers and Physical Education Teachers in Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Regulations, 2014, in the First Schedule against the, LEVEL 4 and LEVEL 5, after entry (c) under the heading MINIMUM ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS, the following entries shall be inserted, namely:-

"OR

(d) Post-Graduation with a minimum 55% marks or equivalent grade and three-year integrated B.Ed.-M.Ed."

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./330/2021-22]

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 16th December 2014 *vide* number 62-1/2012 NCTE (N&S), dated the 12th November 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.10.14 23:07:07 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230447
CG-DL-E-16102021-230447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943**
No. 462] **NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943**

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

फा. सं. एनसीटीई–रेगु.10122/8/2020–यूएस(विनियमन)–एचक्यू.(इ).–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस ओ 750(ई), दिनांक 31 मार्च 2010 के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 25 अगस्त, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 61–03/20/2010/एनसीटीई/(एन तथा एस), दिनांक 23 अगस्त, 2010, में पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित), अर्थातः–

(1). उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 1 में, उप–अनुच्छेद (i), में खंड (क), में शब्दों/अंकों और कोष्ठकों के बाद "कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:–

"अथवा

न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड."

(2). उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 1 में, उप–अनुच्छेद (ii) में, खंड (क) में शब्दों और कोष्ठकों के बाद "कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)" में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:–

"अथवा

न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड."

(3). उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, खंड (ख), के बाद निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ग) जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के दो साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में अनिवार्य रूप से छः महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा"।

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन –.III/4/-असा./329/2021-22]

नोटः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 25 अगस्त 2010, संख्या 64–03/20/2010/एनसीटीई(एन और एस), दिनांक 23 अगस्त 2010 को प्रकाशित हुई थी और जिसे बाद में अधिसूचना संख्या 61–1/2011/एनसीटीई(एन और एस), दिनांक 29 जुलाई 2011, एनसीटीई–रेगु. 012/16/2018, दिनांक 28 जून, 2018 और एनसीटीई–रेगु. 012/22/2019–यूएस(विनियमन) दिनांक 13 नवबंर 2019 द्वारा संशोधित किया।

NATIIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

F. No. NCTE-Reg l0122/8/2020-US(Regulation)-HQ.(E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) and in pursuance of the notification number S.O. 750(E), dated the 31st March, 2010, issued by the Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments further to amend the notification number 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010 (hereinafter referred to as the said notification), namely:—

(1). In the said notification, in paragraph 1, in sub-paragraph (i), in clause (a), after the words/figures and brackets "Graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education (B.Ed.)", the following shall be inserted, namely: -

"OR

Post-Graduation with a minimum 55% marks or equivalent grade and three-year integrated B.Ed.-M.Ed."

(2). In the said notification, in paragraph 1, in sub-paragraph (ii), in clause (a), after the words/figures and brackets "Graduation with at least 50% marks and 1 – year B.Ed. (Special Education)", the following shall be inserted, namely: -

"OR

Post-Graduation with a minimum 55% marks or equivalent grade and three-year integrated B.Ed.-M.Ed."

(3). In the said notification, in paragraph 3, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

"(c) who has acquired the qualification of three-year integrated B.Ed.-M.Ed. from any National Council for Teacher Education recognised institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V:

Provided that the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six-month Bridge Course in Elementary Education recognised by the National Council for Teacher Education, within two years of such appointment as primary teacher."

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.

[ADVT III/4/Exty./329/2021-22]

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th of August 2010, vide number 64-03/20/2010/NCTE(N&S), dated the 23rd of August 2010 and subsequently amended vide notification numbers 61-1/2011/NCTE(N&S), dated the 29th of July 2011, NCTE-Regl 012/16/2018, dated the 28th June, 2018 and NCTE-Reg/012/22/2019-US(Regulation)-HQ, dated the 13th November, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.16 12:47:51 +05'30'